

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 19 के प्रश्नांश 'ख' का परिशिष्ट - १

प्रश्न दिनांक : 18/07/2016

प्रश्नकर्ता :- श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

ग्रामिण अंचल में संस्थागत प्रसव व टीकाकरण में सुधार हेतु शासन द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी

1. संस्थागत प्रसव में प्रोत्साहित करने हेतु जननी सुरक्षा योजनातर्गत महिलाओं द्वारा शासकीय संस्थाओं प्रसव कराने पर वित्तीय राशि प्रदान की जाती है।
2. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को संस्था में प्रसव कराने पर निःशुल्क उपसा, निःशुल्क औषधि, सामग्री, जाँचे, ब्लड ट्रान्सफ्यूशन व भोजन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
3. प्रसव हेतु चिकित्सालय में निवास से आने एवं डिस्चार्ज उपरांत निवास तक जाने हेतु निःशुल्क परिवहन की सुविधा जननी एक्सप्रेस तथा 108 एम्बुलेन्स के माध्यम से प्रदान की जाती है।
4. स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रसव केन्द्रों के रूप में चिन्हित कर 24x7 प्रसुति सेवायें उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।
5. समस्त प्रसव केन्द्रों पर जीरो डोज़ टीकाकरण सुनिश्चित की जाती है।
6. प्रदेश के समस्त ग्रामों में माह में न्यूनतम एक बार टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जा रहा है।
7. टीकाकरण सत्र स्थल पर चिन्हित हितग्राहियों को निश्चित स्थान एवं निश्चित दिवस पर लाने हेतु आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से बुलाने की व्यवस्था की जाती है।
8. सत्र स्थल पर समय-सीमा में समस्त टीकों की उपलब्धता हेतु वैकल्पित वैक्सीन वितरण प्रणाली निर्धारित की गई है।
9. वैक्सीन प्रबंधक एवं स्वास्थ्य प्रदायकर्ता हेतु प्रतिवर्ष कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
10. चिन्हित कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में मिशन इन्द्रधनुष के माध्यम से सघन टीकाकरण गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
11. टीकाकरण में सुधार हेतु प्रचार-प्रसार की कार्यवाही की जा रही है।
12. विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, यू.एन.डी.पी, व किलन्टन हेल्थ एक्सेस इंनीशिएटिव, के प्रतिनिधियों तथा इण्डियन एशोसिएशन ऑफ प्रिवेन्टिव एण्ड सोशल मेडिसिन के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध व्याख्याताओं के द्वारा मॉनीटरिंग एवं सुपरवीजन की जा रही है।
13. समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला एवं ब्लॉक के अधिकारियों की समीक्षा की जा रही है।

  
Deputy Director  
Health Services  
Madhya Pradesh